श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहता हूं कि मनरेगा में कानून की मंशा के अनुरूप ही काम हो रहा है। कानूनी मंशा के विपरीत इसमें कोई भी काम बिल्कुल नहीं किया जायेगा। ...(**व्यवधान**)... लेकिन जिस संख्या की वे बात कर रहे हैं, वह संख्या अगर काम पर आएगी और उसे काम नहीं दिया जाएगा, तभी ऐक्ट का जो प्रावधान है, वह उन पर लागू होगा। लेकिन अगर वे आएंगे ही नहीं तो प्रावधान कैसे लागू होगा?

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, it is based on the answer, which I have received. क्या आप मुझे यह नहीं बता सकते कि 57 लाख लोगों में से आपने कितनों को यह कह दिया है, एक तो दिया है, दो को दिया है या दस को दिया है? ...(**व्यवधान**)... इसका मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी के पास इसका answer ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It is a factual question. आप माननीय सदस्य को इसका जवाब बाद में भेज दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंहः ये स्वीकार कर लें कि इनके पास जानकारी नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Let the information be. ...*(Interruptions)*...

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, आपने जैसा निर्देश दिया है, मैं माननीय सदस्य को शेष जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

दिल्ली में ट्रैफिक की धीमी गति के कारण उत्पन्न प्रदूषण

*153. **चौधरी सुखराम सिंह यादव :** क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सड़कों पर पीक आवर और नान-पीक आवर के दौरान ट्रैफिक में गाड़ियों के धीमी गति से चलने के कारण दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है; और

(ख) दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की अत्यधिक संख्या के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए क्या प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा संबंधित एजेंसियों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं और किन-किन कारणों से दिल्ली की आबोहवा स्तरविहीन हो रही है और नियंत्रण से बाहर होती जा रही है?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) और (ख) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(क) दिल्ली में धूलकण, जेनसेट, अपशिष्ट का जलाना, निर्माण कार्यकलाप, वाहन, उद्योग इत्यादि जैसे विभिन्न स्रोत वायु प्रदूषण का कारण हैं। परिवेशी वायु में प्रदूषणकारी तत्वों के संकेन्द्रण

का निर्धारण भी मौसम संबंधी स्थितियों, भूमि उपयोग के पैटर्न, स्थानों के आस-पास के कार्यकलापों इत्यादि से होता है। यातायात जाम होने के कारण इंजन के अधिक देर तक और व्यर्थ में चलते रहने के कारण भीड़-भाड़ वाले और सामान्य समय के दौरान यातायात की गति धीमी हो जाने के कारण भी दिल्ली में सड़कों पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तथापिं, उपलब्ध आकड़ों से, दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में धीमें यातायात या दूसरे कारणों से वृद्धि होने से संबंधित किसी उल्लेखनीय प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बो(एसपीसीबी) द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत दिल्ली सहित देश में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 67 स्थानों पर $PM_{2.5}$ की निगरानी किये जाने के अतिरिक्त तीन वायु प्रदूषकों अर्थात् सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) और विविक्त कण (PM_{10}) की भी निगरानी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि SO_2, 50 ग्रा/एम3 (वार्षिक मानक) के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) की सीमा में रहा और NO2, 40 ग्रा/एम$_3$ (वार्षिक मानक) की एनएएक्यूएस की सीमा से थोड़ा अधिक रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से धूल कणों के मामले में पाई गई थी, हालांकि जनसंख्या, वाहनों की संख्या और अन्य आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि होने के बावजूद पिछले तीन वर्षों के दौरान धूल कणों से संबंधित टाइम सीरीज आंकड़ों के विश्लेषण से किसी उल्लेखनीय वृद्धि का पता नहीं चलता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 और 2017 के दौरान जनवरी से जून माह की अवधि के दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2017 में वायु प्रदूषण में कभी भी अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई, जबकि वर्ष 2016 के दौरान प्रदूषण का स्तर 9 दिन अत्यधिक रहा। साधारा प्रदूषण वाले दिनों की संख्या वर्ष 2016 में 29 थी जो वर्ष 2017 में बढ़कर 56 हो गयी। अत्यधिक खराब स्तर वाले दिनों की संख्या वर्ष 2016 में 52 थी जो 2017 में कम होकर 36 रह गई। उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2016 और 2017 में प्रथम छमाही में दिल्ली में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 42 कार्रवाई-बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिए वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत सांविधिक निदेश जारी किए हैं जिनमें दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के उपाय भी शामिल हैं। वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रस्तावित कार्रवाईयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषणकारी वाहनों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाना, जन-जागरुकता फैलाना, सड़क को चौड़ा करने की योजना बनाना और सड़कों की भीड़ को कम करने के लिए अवसंरचना में सुधार करना, यातायात संचलन का तुल्यकालन/लेन ड्राइविंग के लिए उत्कृष्ट ट्रैफिक प्रणालियां शुरू करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने व्यस्त समय में यातायात के प्रभावी संचलन के लिए वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 26 क्षेत्रों के कमिश्नरों को और एनसीआर के 23 क्षेत्रों के पुलिस अधीक्षकों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत निदेश जारी किए हैं।

Pollution due to slow speed of traffic in Delhi

†*153. CH. SUKHRAM SINGH YADAV: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the level of pollution is increasing continuously in Delhi due to slow speed of traffic on the roads during peak hours and non-peak hours; and

(b) whether the Ministry has issued directions, at regular intervals, to the concerned agencies to reduce the level of pollution keeping in view the pollution due to heavy traffic on the roads of Delhi and the reasons for deterioration of climate of Delhi and going out of control?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Various sources like dust re-suspension, gensets, waste burning, construction activities, vehicles, industries, etc. contribute towards air pollution in Delhi. Concentration of pollutants in ambient air is also determined by the meteorological conditions, land use pattern, activities around the locations etc. Slow speed of traffic on the roads during peak and non-peak hours may contribute to rise in air pollution levels in Delhi due to extended engine running time and idling due to traffic congestion. However, the available data does not show any significant trend relating to rise in level of air pollution in Delhi whether due to slow traffic or other factors. The Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Boards (SPCBs) monitor ambient air quality in the country including in Delhi under the National Air Quality Monitoring Programme (NAMP). Three air pollutants *viz.,* Sulphur Dioxide (SO_2), Nitrogen Dioxide (NO_2) and Particulate Matter (PM_{10}), are monitored under the programme besides PM2.5 at over 67 locations. Data, available for last three years shows that, SO2 was well within the National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) of 50 ug/m3 (annual standard) and NO^2 exceeded slightly from NAAQS limit of 40 ug/m^3 (annual standard). Exceedance was mainly observed with respect to particulate matter, though the analysis of time series data relating to particulate matter does not show any significant rising trend during last three years despite rise in population, number of vehicles and other economic activities. Further, the Air Quality

† Original notice of the question was received in Hindi.

Index (AQI) data of Delhi for the period of January-June for 2016 and 2017 shows that there were no days with severe level of air pollution in 2017, whereas there were 9 days with severe level of pollution during 2016. Moderate days have gone up from 29 days in 2016 to 56 days in 2017. Very poor days have reduced from 52 in 2016 to 36 during 2017. The above data shows some improvement in air quality in Delhi in 2017 for the first six months in comparison to 2016.

(b) The Central Pollution Control Board (CPCB) has issued statutory directions under section 18 (1) (b) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1986 for implementation of 42 action points which also include measures to control vehicular pollution to mitigate air pollution in Delhi. The proposed actions for control of vehicular pollution *inter-alia* include launch of extensive drive against polluting vehicles for ensuring strict compliance, launch of public awareness, preparation of plan for widening of road and improvement of infrastructure for decongestion of road, synchronization of traffic movements/introduction of intelligent traffic systems for lane driving etc. In addition, CPCB has issued directions under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986 to the Commissioners of 26 regions for control of air pollution in National Capital Region (NCR) and to Superintendent of Police of 23 regions of NCR regarding effective movement of traffic at busy transactions.

चौधरी सुखराम सिंह यादवः माननीय सभापति जी, मैंने प्रदूषण पर अपना प्रश्न पूछा था। जब से मैं इस सदन में आया हूं, मैं यह देख रहा हूं, दिल्ली में जहां मेरा निवास है, वहां पर न तो पानी अच्छा है और न ही जलवायु अच्छी है। मिनरल वॉटर के लिए जो प्लांट लगाए गए हैं, वे इतने खराब हैं, आप खुद देख लीजिए, लेकिन मेरा गला कैसे बोल रहा है। यह सारी की सारी व्यवस्था आपके नेतृत्व में है, लेकिन इसके बावजूद जहां ब्रह्मपुत्र में मैं रहता हूं, वहां मिनरल वॉटर के प्लांट बिल्कुल खराब चल रहे हैं। इतनी खराब स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी है, इसीलिए मैंने यह सवाल उठाया था। आज पूरे देश में प्रदूषण की समस्या है। चाहे जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, तीनों प्रदूषण हमारे लिए खतरनाक हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, विशेष रूप से दिल्ली में, जहां इस समय हम लोग रह रहे हैं।

महोदय, दिल्ली में स्थिति बहुत खतरनाक हो रही है और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाहनों सहित PM_{10} बढ़ाने के लिए कौन-कौन से घटक उत्तरदायी हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

डॉ. हर्ष वर्धनः सर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि air pollution के संदर्भ में भारत सरकार के Ministry of Environment समेत जो अन्य मंत्रालय हैं, उन

सबके माध्यम से हम बहुत ही aggresive और comprehensive policy बनाकर, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी जानते हैं कि हमारी Ministry of Surface Transport and Highways ने भारत के अंदर पहली बार Bharat Stage norms को अप्रैल, 2017 में सभी four-wheeler vehicles के ऊपर लागू किया है। अभी 2020 के अंदर Bharat Stage VI norms को notify कर दिया गया है, हमारी सरकार ने यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है।

महोदय, इसके अलावा जो हमारी Petroleum Ministry है, उसने fuel quality के संदर्भ में बहुत detailed निर्देश दिए हैं। अभी जो latest निर्देश हैं, उसके हिसाब से जो research octane number है, for premier gasoline available has been boosted to 95 with lead content being reduced to 0.005 gm/litre and benzene content of maximum one per cent. The content of sulphur in gasoline is reduced to 0.005 per cent, that is, 50 ppm from existing 0.015 per cent in BS-IV compliant vehicles.

इसी प्रकार से हमारा जो Central Motor Vehicles Act, 1980 है, उसके तहत यह सबके लिए जरूरी है कि वे एक Pollution Under Control valid certificate carry करें। इसके संदर्भ में हमारा जो संबंधित मंत्रालय है, उसने सारे देश के अंदर Model Inspection and Certification Centres बनाने के लिए तैयारी शुरु कर दी है। महोदय, अभी इसके लिए 10 स्टेट्स में - आंध्र प्रदेश, कर्णाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, NCT of दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान आदि स्थानों पर उन्हें approve कर दिया गया है। हमारा जो National Electric Mobility Mission है, इसके अंतर्गत वर्ष 2020 में उसे एक बड़ा मिशन बनाकर, सारे देश में electric vehicles को popularise करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सभी संबंधित मंत्रालयों में, जिसमें मेरा दूसरा मंत्रालय - Science and Technology भी है, उसके माध्यम से ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं।

महोदय, शायद आप जानते होंगे कि अभी रेवा मोटर्स ने एक small electric battery car को commercialise भी किया है।...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

डॉ. हर्ष वर्धनः महोदय, three-wheeler manufacturers भी electric-driven vehicles को indian market में ला रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारा New and Renewable Energy Department है, जिसे हम popularly MNRE मंत्रालय बोलते हैं, उसने National Biofuel Policy बनाई है, जिसमें यह propose किया गया है। उसके ऊपर लगातार काम शुरू हो रहा है, जिसके अनुसार gasoline में 20 प्रतिशत ethanol mix किया जाए और डीज़ल में 20 परसेंट बायोडीज़ल मिक्स किया जाए।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

डा. हर्ष वर्धन : सर, अभी complete नहीं हुआ है। सर, माननीय सदस्य pollution की बात कर रहे हैं। Sir, I have to tell everything to him so that he is satisfied. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am afraid I have to get on with other questions also. ...*(Interruptions)*...

DR. HARSH VARDHAN: Sir, he said that he is not satisfied. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I would request both. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज शेखरः सर, मंत्री जी केवल इतना बता दें कि प्रदूषण के मामले में दिल्ली कौन से नंबर पर है? **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः आप बैठ जाइए। चूंकि आपका सवाल नहीं है, इसलिए आप कृपया बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

DR. HARSH VARDHAN: Sir, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Dr. Saheb, please try to be brief. ...*(Interruptions)*...

DR. HARSH VARDHAN: Sir, this is only a small portion of what I have to tell him. ...*(Interruptions)*... सर, फिर हमारा जो GAIL है, उसने एक Green Corridor Project लिया है, जिसके अन्तर्गत city की limits के बाहर CNG की availability के लिए long journeys में CNG users को promote करने के लिए काम हो रहा है।

सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने हाइड्रोजन कॉर्पस कंपनीज़ की और ऑयल इंडस्ट्री की **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Does it relate to this particular question? ...*(Interruptions)*...

DR. HARSH VARDHAN: Yes, Sir, it relates to that. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no, the entire work of the Ministry. ...*(Interruptions)*...

DR. HARSH VARDHAN: Everything relates to this because he is talking of controlling pollution and I am telling him that how much our Government, not only the Environment Ministry but the whole Government, as such, is comprehensively dealing with this issue in a very, very thorough manner.

MR. CHAIRMAN: Dr. Saheb, the question is very, very specific. It relates to Delhi's pollution.

DR. HARSH VARDHAN: But he hasn't said that it is related to Delhi's traffic. As far as the Delhi's traffic and the Delhi's pollution is concerned, I have comprehensively replied but in the supplementary, he is asking about the larger issue...

MR. CHAIRMAN: Then, you don't reply, ...*(Interruptions)*... The procedure is that the question has to relate to the main question. You ask the second question as we are running out of time.

चौधरी सुखराम सिंह यादवः माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और अगर स्वास्थ्य मंत्री ऐसा जवाब दें, तो हम लोग उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं।

श्री सभापतिः आप सवाल पूछिए।

चौधरी सुखराम सिंह यादवः माननीय सभापति जी, मेरा सवाल यह है कि जो दिल्ली की स्थिति है और जिस प्रकार से दिल्ली में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके कारण कोई भी वाहन 20 से 25 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा नहीं चल पाता है। दिल्ली में जिस प्रकार से वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं, उसे देखते हुए क्या सरकार के पास, जैसे पहले सरकार ने एक योजना "ऑड एवं इवन नंबर" की बनाई थी, उस प्रकार की कोई योजना है, ताकि दिल्ली में कम से कम वाहन चलें और वाहनों के साथ-साथ लोग साइकिल का प्रयोग करें। क्या इसके लिए भी कोई योजना सरकार ने बनाई है?

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

डा. हर्ष वर्धनः सर, इस संदर्भ में मुझे कहना है कि दिल्ली का या देश का जो pollution है, इसमें **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Silence, please. ...*(Interruptions)*... Please listen to the answer. ...*(Interruptions)*...

डा. हर्ष वर्धनः सर, जैसा मैने अपने उत्तर में भी बताया है कि इस polution में खाली vehicles का ही contribution नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपने सुझाव दिया कि दिल्ली में vehicles की संख्या कम की जाए, तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि ये सारे voluntary involvement के issues हैं। इस संबंध में मेरा कहना है कि ऐसी सैंकड़ों goods deeds जिनमें हमारे लोग as an individual; as a corporate; as a society and as an NGO कर सकते हैं, उसे अभी हमने पिछले दो महीने में comprehensively तैयार किया है और बहुत जल्दी मैं उसे आप सबके बीच में समर्पित करूंगा। हम सारे देश के अंदर, सांसदों सहित हर व्यक्ति से, जो कि जिम्मेदार है, यह request करेंगे कि देश में हम ऐसा एक बड़ा social movement खड़ा करें जिसके अंदर देश का हर व्यक्ति, हर रोज़ एक ऐसा positive काम करे, जो कि environment के लिए positive हो और air pollution के लिए, river pollution के लिए तथा land pollution के लिए लाभकारी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जैसा आपने सुझाव दिया, वैसा होगा, क्योंकि किसी से जबर्दस्ती साइकल नहीं चलवाई जा सकती है। लेकिन हम साइकिल चलाने के लिए उसको convince भी कर सकते हैं, motivate भी कर सकते हैं। हम car pooling के लिए motivate कर सकते हैं कि इस तरह के issues को देखते हुए घर में कम से कम कार रखें और public transport को use करें। यह social movement के माध्यम से सम्भव है और उस social movement को भी अगर हमारे जैसे लोग अपने-अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो समस्या है, उसका समाधान हम बहुत जल्दी कर पायेंगे।

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA: Sir, the provisioning of clean air is a highly neglected area all over the country, particularly in Delhi. There is no roadmap to address the issue. There is no designated authority to deal with this issue. Delhi pollution is not only due to traffic. Throughout the year in Delhi, there is a lack of clean air and there are many reasons. Take for instance, construction. There is no sign of prefab construction in the city. There is harvest-end pollution from Haryana. What I want to suggest is that this should be made an integral part of *Swachh Bharat Abhiyan,* and I think, there is a dire need for a Committee to go into these aspects and give a solution for Delhi, and, then, in the broader context, for the entire nation. Each particular city or urban area has its own reasons. But, I think, provisioning of clean air is a highly neglected area.

MR. CHAIRMAN: Thank you for the suggestion.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I will not agree with the hon. Member that there is no authority to handle this issue. First of all, let me inform him that the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Boards regularly organize meetings. At our Ministry, we regularly organize meetings of all NCR States, plus for Delhi itself, for the last two years, a new concept of National Air Quality Index has been introduced by our Prime Minister with his blessings and we are doing this for Delhi along with many other cities. There is a Graded Response Action Plan, a detailed action plan which has been notified specifically for controlling the air pollution in Delhi and NCR as also for controlling the Particulate Matter. The Central Pollution Control Board has already issued a comprehensive set of directions under Section 18(1)(b) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1986 for implementation of 42 action points. These are very regularly monitored. If you permit, I will tell you how comprehensive. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am afraid, not.

DR. HARSH VARDHAN: I have just now mentioned in my answer to the hon. Member that for cleaner alternate fuels, for burning of leaves, biomass, municipal waste, etc., a strict ban has been imposed. This is being monitored. There is an installation of online 24X7 continuous monitoring device by 17 major polluting industries. There is an ongoing promotion of public transport network of metro, buses, e-rickshaws and promotion of car pooling, Pollution Under Control certificates, lane discipline and vehicle maintenance. We issue regular advisories for ban on bursting of sound emitting crackers between 10.00 p.m. and 6.00 a.m and there are regular coordination meetings of officials at ministerial level in Delhi also. So, it is a very, very comprehensive programme. As a result of the initiatives taken by the Indian Government last year when there was so much

of hue and cry about it, if you compare the first six months of this year with the first six months of last year, there is a huge difference of air quality in Delhi. That is as per the record also.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the hon. Minister is best placed to understand the health effects of pollution being a doctor himself. Sir, my question flows from the answer that he has given. He has mentioned about Sulphur Dioxide and Nitrogen Dioxide. They are part of the National Ambient Air Quality Standards. Unfortunately, Sir, we do not have concentration standards both for Sulphur Dioxide and Nitrogen Dioxide, which are emerging as major pollutants in India. So, I want to know from the hon. Minister that in addition to the Ambient Air Quality Standards, on which I have no problem, whether he would consider promulgating standards for Sulphur Dioxide and Nitrogen Dioxide emissions, particularly from thermal power plants.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, as far as his talk about the standards for NO_2 and SO_2 is concerned, there are definite standards. But regarding the standards related to thermal power plants, the Government has initiated stringent standards for that. That process has already been initiated. It is all well known. There have been some observations and concerns which have been expressed by related people; the Government is, in fact, further getting into the depth of the issue. But I will not agree with you that there are not standards. There are standards for, virtually, everything that contributes to air pollution including, of course, SO_2 and NO_2.

श्री रेवती रमन सिंहः माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 'Paris Accord' के अनुसार थर्मल पावर स्टेशन्स बंद किए जाने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा pollution थर्मल पावर स्टेशन्स से होता है, तो क्या वे इस पर विचार कर रहे हैं कि निकट भविष्य में जो थर्मल पावर स्टेशन्स हैं, उनको वे बंद करेंगे?

आपने कहा कि बायोमास को भी कंट्रोल करने के लिए हम योजना बना रहे हैं। यहीं बगल में, आपके हरियाणा, पंजाब में खुलेआम बायोमास का यूज़ किया जाता है। वहां के किसानों ने इसके लिए मना कर दिया है और कहा है कि हम बायोमास जलाएंगे, हम उस पर कोई प्रतिबंध नहीं मानेंगे। आप इस संबंध में क्या कर रहे हैं?

डा. हर्ष वर्धनः सर, सबसे पहले तो मुझे यह कहना है कि कोई भी स्टेप एक बार में अचानक नहीं लिया जा सकता है। आप जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने क्लीन एनर्जी के प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट हाथ में लिया हुआ है, जिसके तहत हम सन् 2022 तक 175 गीगावाट क्लीन एनर्जी का उत्पादन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा देश उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने कहा कि 'पेरिस एग्रीमेंट' के अंदर थर्मल प्लांट्स को बंद करने की बात की गई है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भी बात 'पेरिस एग्रीमेंट' के अंदर कही गई है कि आप देश के अंदर या दुनिया के अंदर सभी थर्मल पॉवर प्लांट्स को बंद कर दीजिए, लेकिन हम ज्यादा-से-ज्यादा क्लीन एनर्जी की

दिशा में, क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल की दिशा में बढ़ें, उसके लिए सारी दुनिया संकल्पबद्ध है। मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रधान मंत्री, मोदी जी ने 'पेरिस एग्रीमेंट' के तहत पेरिस के अंदर मीटिंग में सारी दुनिया को नेतृत्व प्रदान किया और उस नेतृत्व प्रदान करने के तहत दुनिया के अंदर 'मिशन इनोवेशन' नाम का एक मूवमेंट डेवलप हुआ। 'मिशन इनोवेशन' की जो पहली मीटिंग है, वह सेन फ्रांसिस्को में हुई, दूसरी मीटिंग इस साल चीन में हुई। दोनों मीटिंग्स में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और दुनिया के सभी देशों ने, including अमेरिका और चीन ने भारत के नेतृत्व की और विशेषरूप से हमारे प्रधान मंत्री, मोदी जी की भूरी-भूरी प्रशंसा की और सब लोगों ने इस बात को acknowledge किया है कि यह 'मिशन इनोवेशन' क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंदर 8 action groups हैं, 8 action points हैं, जिनके ऊपर रिसर्च एवं सारे काम हो रहे हैं। सारी दुनिया ने उसके अंदर प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के contribution को सराहा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में भारत सारी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने के लिए सक्षम है और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं।

Environmental clearance for aqua food park at Thunduru

*154. SHRI MOHD. ALI KHAN: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has given environmental clearance for the proposed aqua food park at Thunduru in West Godavari District ignoring its environmental concerns and if so, the details thereof; and

(b) whether Government is aware that the said project is being taken up in between the villages and their drinking water resources, which can become disastrous for the health of residents?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Environmental Clearance (EC) has not been granted for Aqua Food Park at Thunduru in West Godavari District as this activity is not listed in the scheduled projects/ activities under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 as amended from time to time.

(b) The Andhra Pradesh Pollution Control Board have informed that the nearest human habitaitons are Tundurru, K. Bethapudi and Jonnalagaruvu villages which are at the distance of about 450 metres from the industry. No drinking resources will be polluted because the proposed Food Park is not permitted to discharge effluent outside its premises.